

३५

१५/१२/२५

जवाबली फेशंड्री वहील वादी अनुपरिव्यत हैं। वादी स्वयं
 अनुपरिव्यत हैं। उनकी शर से कोई अन्य वहील
 भी उपरिव्यत नहीं है। बार-बार आवाजे लगवाई गई
 परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी उपरिव्यत नहीं हुआ
 । अतः राजस्व वाद पत्र अफस एजरी उन हम पैखी में
 खारिज किया जाता है। जवाबली फैसल इमार हो।
 नम्बर विरुम धेकर दाखिल छतर हो।



उपखण्ड अधिकारी
 भिनाय (कड़ो)